अध्याय –1 (मैन्युअल–1)

संगठन की विशिष्टियॉं, कृत्य एवं कर्तव्य

Chapter-1 (Manual-1)

Particulars of Organization, Functions and duties)

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य।

2.1 Objective/Purpose of the public authority

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार है :

- बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 8 के अन्तर्गत बीज प्रमाणीकरण संस्था के रूप में कार्य करना।
- बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 9 और 10 के तहत बीज प्रमाणीकरण संस्था के विहित कार्यों को सम्पादित करना।
- केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रजनक एवं आधार बीजों के श्रोतों की सूची संधारित करना। जहां एक राज्य से अधिक में कोई किस्म ली जा रही है एवं राज्य बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा स्थानीय महिद की कोई किस्म मान्य की जाय, इनकी सूची भी संधारित करना।
- प्रमाणीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदित किस्म के प्रमाणीकरण के लिए अर्हता होने की जांच करना, साथ ही आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत हुआ हो एवं उपयोग किये गये बीज का श्रोत अनुमोदित हो, यह सत्यापित करना।
- केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बीज उत्पादन क्षेत्र का फसल निरीक्षण बीज प्रक्रिया केन्द्र एवं बीज लॉट का निरीक्षण कार्य करना।
- केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं निश्चित मापदण्डों के अनुसार संस्था द्वारा प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण टेग्स एवं मोहर प्रदाय करना।
- प्रमाणित बीज के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम संपादित कराना। जिसमें बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम और प्रमाणित बीज के श्रोतों की सूची का प्रकाशन करना और यह जानकारी केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड को उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि राज्य में प्रमाणित किया गया बीज, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- बीज प्रक्रिया केन्द्रों के प्रक्रिया कार्य को इस तरह नियंत्रित करना कि प्रक्रियाकृत बीज निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयुक्त तरह से प्रक्रियाकृत किये गये हों।
- बीज अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों की पुष्टि के लिये अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में बीज का परीक्षण कराना।

- बीज अधिनियम के तहत निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार कृषकों को हमेशा प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिये बीज विक्रेताओं के परिसरों का समय समय पर निरीक्षण करना, ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि प्रमाणीकरण मानकों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो और किसी भी रूप में प्रमाणीकरण का दुरूपयोग न हो सके।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन
2.2 Mission/Vision Statement of the Public Authority.

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मिशन/विजन फसलों की अधिसूचित किस्मों का केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अन्तर्गत प्रमाणीकरण करना है एवं उच्च गुणवत्ता के बीज की **सामयिक उपलब्धता** सुनिश्चित करना है।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग।
2.3 Brief history of the public authority and context of its information.

बीज अधिनियम–1966 की धारा–8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में ''मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था'' की स्थापना (पंजीयन क्र–8701) दिनांक 21–1–1980 को की गई, जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है। बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण का कार्य, कृषक, बीज उत्पादक संस्थाएं, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के सहयोग से ही पूरा होना संभव है। प्रमाणीकरण के कार्य में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजग, सक्षम एवं निष्पक्ष कार्यकर्ता तथा विशुद्ध कार्यप्रणाली की आवश्यकता है।

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था एक स्वशासी संस्था है। संस्था के कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम (मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन) निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत संस्था का संचालक मण्डल गठित है। संचालक मण्डल के अध्यक्ष प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, संस्था का प्रधान कार्यालय भोपाल में स्थित है। संस्था के प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। प्रधान कार्यालय से ही संस्था के पूरे प्रदेश का प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण होता है तथा कार्य की सुविधा की दृष्टि से संस्था के 10 संभागीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, खण्डवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त संस्था की चार बीज परीक्षण प्रयोगशालाऐं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर में कार्यरत हैं एवं एक ग्रो–आऊट प्रक्षेत्र देलमी, जिला–धार में स्थापित है।

संस्था का मुख्य कार्य, प्रदेश में बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रजातियों को **''केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड''** द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बीज प्रमाणित किया जाता है।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य।

2.4 Duties of the public authority.

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्य कर्तव्य अधिसूचित किस्मों के उच्च कोटि के बीज एवं प्रवर्धन सामग्री, जिनका उत्पादन एवं वितरण इस तरह से किया गया हो, कि उनकी अनुवांशिक पहचान, अनुवांशिक शुद्धता, स्वास्थ्य स्तर तथा अन्य गुण प्रमाणीकरण द्वारा बनाये रखकर कृषकों को उपलब्ध कराना।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य।

2.5 Main activities/functions of the public authority.

भारत शासन द्वारा अधिसूचित उन्नत किस्मों का प्रमाणीकरण, अनुवांशिक शुद्धता, अंकुरण एवं वांछित स्वास्थ्य स्तर के गुणों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रमाणीकरण हेतु फसलों/किस्मों की पात्रता :–

केवल वे ही फसलें/किस्में जो बीज अधिनियम 1966 की धारा–5 के अन्तर्गत अधिसूचित हो बीज प्रमाणीकरण की पात्रता रखती है ।

बीजों की श्रेणियां :–

- **प्रजनक बीज** (Breeder's Seed) :– यह बीज, प्रजनक अथवा प्राधिकृत प्रजनक की सीधी देख–रेख में तैयार किया जाता है एवं/या जिसका उत्पादन सुशिक्षित पादप प्रजनक के पर्यवेक्षण में किया गया हो। प्रजनक बीज अनुवांशिक रूप से शत् प्रतिशत शुद्ध होना चाहिये। जिसकी मॉनीटरिंग, टीम द्वारा खेत स्तर पर की जाती है ।
- **आधार बीज** (Foundation Seed) :– आधार बीज प्रजनक बीज की सन्तति होगी या ऐसे आधार बीज से प्रगुणित किया गया हो जिसका पूर्व पैतृक प्रजनक बीज हो, की पुष्टि हो सके व उसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देख–रेख में, एवं स्वीकृति से हुआ हो इस प्रक्रिया के दौरान निम्न मापदण्डों का पालन आवश्यक होगा :–
- प्रजनक बीज से प्राप्त सन्तति आधार–I होगा।

- ऐसा आधार बीज जो आधार–I से प्रगुणित किया गया हो, वह आधार–II होगा तथा उत्पादक इकाई के सारे प्रयत्नों के बाद भी आधार बीज उत्पादन नहीं हो पाया हो एवं आधार बीज की वास्तविक कमी हो।
- आधार– II को पुनः आधार बीज प्रगुणन हेतु उपयोग में नही लाया जा सकेगा ।
- आधार– I व आधार– II के प्रमाणीकरण मानक, जहां अलग–अलग निर्धारित नही किये गये हो एक समान रहेंगे व दोनों स्तरों के लिये निर्धारित मानकों के सहित सफेद रंग का टैग लगाया जावेगा ।
- **प्रमाणित बीज** (Certified Seed) :–
- प्रमाणित बीज आधार बीज की सन्तति होगी और उसका उत्पादन इस तरह से हाथ में लिया जाएगा, जिससे विशेष अनुवांशिक पहचान एवं शुद्धता प्रमाणित की जाने वाली फसल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी रखी जा सके।
- प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज की सन्तति हो सकता है। बशर्ते कि यह पुर्नप्रगुणन आधार–I बीज के बाद तीन पीढ़ी से अधिक न हो और बशर्ते कि बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा यह निश्चित कर लिया गया हो कि अनुवांशिक शुद्धता एवं पहचान सार्थक रूप से परिवर्तित न हुई हो।
- प्रमाणित बीज के विभिन्न स्तरों के बीजों पर भारतीय न्यूनतम बीज मानकों में निर्धारित आकार व नीले रंग के टैग लगाए जावेंगे।
- उस उत्पादन के लिये जो प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पुनः बीज प्रगुणन का पात्र नहीं है, टैग पर ''प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पुनः प्रगुणन का पात्र नहीं'' शब्द अंकित करना आवश्यक होगा ।

बीज प्रमाणीकरण के लिये आवेदन, निरीक्षण शुल्क एवं पंजीयन शुल्क :–

बीज प्रमाणीकरण के इच्छुक किसान, संस्थाऐं इत्यादि बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :–

- संस्था बीज उत्पादन हेतु संबंधित विभागों से पंजीकृत हो।
- इच्छुक कृषक भी उत्पादक संस्थाओं की तरह अपना पंजीयन करा सकते हैं।
- बीज उत्पादन हेतु कृषक को बीज वितरण के साथ दिये जाने वाले चालान/बिल में बीज का लाट क्रमांक वजन व बेगों की संख्या अंकित हो।
- प्रत्येक फसल/किस्म व श्रेणी के लिए पूर्ण रूप से सही भरा हुआ अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है ।
- आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक लाट का एक–एक टैग, बिल/केश मेमो की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। टैग, लेबिल, सील आदि संभाल कर रखने

हेतु कृषक को समझाइश दें। बीज स्त्रोत निर्धारित करने हेतु आवश्यक अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। जिसमें अन्य राज्यों से प्राप्त बीज का पैकिंग प्रमाण पत्र/रिलीज आर्डर, लाट मूवमेंट, संतति प्रमाण आदि पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा।

- प्रजनक से आधार बीज उत्पादन हेतु प्रजनक लेबल, प्रजनक प्रमाण पत्र तथा मानीटरिंग रिपोर्ट पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- निर्धारित शुल्क का बैंक ड्रॉफ्ट प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल के नाम से देय होगा, जिन्हें निर्धारित कट आफ डेट के पूर्व जमा करना होगा।
- बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु यथा संभव एक उत्पादक को एक ही लाट का बीज दिया जाए ।
- अपूर्ण व असत्य जानकारी देने पर आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।
- संस्थागत/कृषक पंजीयन, उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु अनिवार्य होगा ।
- सभी संकर किस्मों एवं आधार बीज लाटों के लिये ग्रो आउट परीक्षण अनिवार्य होगा।

प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम में क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का निर्धारण :–

- बीज प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र की कोई अधिकतम क्षेत्रफल सीमा निर्धारित नहीं है ।
- प्रस्तावित बीजोत्पादन कार्यक्रम सघन बनाने के लिये कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार शर्ते रहेंगी। विशेष स्थितियों में इसमें प्रबंध संचालक की अनुमति से परिवर्तन किया जा सकेगा :–
    - प्रक्रिया केन्द्रों से 30 किलोमीटर के अंदर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जावे ।
    - शासकीय प्रक्षेत्र एवं बीज निगम प्रक्षेत्र जहां प्रक्रिया केन्द्र नहीं है, के 15 किलोमीटर के अन्दर कार्यक्रम लिया जावे।
    - उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में कृषक बीज उत्पादक कार्यक्रम लेने हेतु उत्सुक हो तो 7 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 30 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है ।
    - संकर कपास के लिये प्रत्येक ग्राम में कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है।
    - सब्जी बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु 5 किलोमीटर की परिधि में 2 हैक्टेयर क्षेत्र होना चाहिये। उपरोक्त सीमा का बंधन लघु फसलों (Minor Crops) पर लागू नहीं होगा। उत्पादक संस्थाओं द्वारा ग्रामों/कृषकों का चयन इस प्रकार किया जावेगा जहां निरीक्षण हेतु सुगमता से पहुंचा जा सके। बीज ग्राम योजना की सूची उत्पादक संस्थाओ द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की ईकाई :–

एक कृषक/बीज उत्पादक द्वारा बोये गये कुल क्षेत्र के निरीक्षण के लिये निम्नानुसार प्रमाणीकरण क्षेत्र को एक ईकाई माना जायेगा अगर :

- उसका क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर से अधिक न हो। 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने पर सुविधानुसार 2 या अधिक भाग किये जा सकते है पर इसका निरीक्षण शुल्क पर कोई असर नहीं होगा।
- पूरे क्षेत्र में बोई गई फसल एक ही किस्म की हो।
- पूरे क्षेत्र की फसल की अवस्था (आयु) तथा बाढ़ समान हो।
- पूरे क्षेत्र में एक ही श्रेणी तथा एक ही वंशानुगत पीढ़ी का बीज बोया गया हो।
- पूरे क्षेत्र में विभिन्न खेत एक दूसरे से 50 मीटर से अधिक दूर न हो।
- भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के परिशिष्ट–।। में निर्धारित शर्तो के अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तवर्तीय फसले ली जा सकेंगी।

बीज के स्त्रोत का सत्यापन :–

आवेदन पत्र के साथ

बीज स्त्रोत सत्यापन प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व की मूलभूत तथा अनिवार्य प्रक्रिया है, अतः यह जानने के लिये कि प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत बीज उत्पादन कार्यक्रम, मान्य स्त्रोत से ही प्राप्त बीज बोया गया है, संस्था को बीज उत्पादन पंजीयन आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे –

- बीज प्राप्ती का सम्पूर्ण विवरण। प्रदाय संस्था का चालान/बिल आदि।
- संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृकों बीजों का लाट मूवमेंट।
- अन्य राज्यों से प्राप्त बीज का पैकिग प्रमाण पत्र/रिलीज आर्डर।
- श्रेणी निर्धारण हेतु सम्पत्ति प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज में यदि श्रेणी को स्पष्ट न किया गया हो, तो अंतिम प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र से पुष्टि की जावे अथवा आवश्यकतानुसार संबंधित संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलेखो के आधार पर दिये गये प्रमाण को भी मान्य किया जा सकेगा।
- प्रजनक बीज का प्रमाणपत्र, मॉनीटरिंग टीम का प्रतिवेदन, बीज आवंटन एवं अन्य सहयोगी प्रमाण।
- बीज लाट्स का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन प्रपत्र।
- प्रत्येक उत्पादक को जारी किया गया चालान/बिल जिस पर प्रदाय बीज का लाट क्रमांक स्पष्ट अंकित हों तथा कृषक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों।
- आधार एवं प्रमाणित बीज की श्रेणी निर्धारण हेतु प्रत्येक लाट का एक टैग प्रत्येक पंजीयन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कृषक प्रक्षेत्रों पर निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध होना चाहिये :

- आवेदन फार्म में दर्शाये गये लाटस के समस्त बैग्स, टैग्स और लेबल।
- उत्पादक संस्था द्वारा जारी किया गया चालान/बिल जिस पर लाट क्रमांक व अन्य विवरण स्पष्ट अंकित हो।

बीज स्रोत सत्यापन का मूल उद्देश्य कृषक द्वारा उपयोग किये गये बीज का स्रोत निर्धारण है। उपरोक्तानुसार में से उपलब्ध प्रमाण से संतुष्ट होने पर उसका विवरण प्रतिवेदन में अंकित कर बीज स्त्रोत का सत्यापन किया जायेगा।

फसल का निरीक्षण

खेत निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बोई गई फसल किस्म का निम्न बिन्दुओं के आधार पर सत्यापित करना है :–

- उपयोग किये गये बीज का बीज स्त्रोत सत्यापित हो जिससे अनुवांशिक एवं भौतिक शुद्वता जो निर्धारित है, उच्च गुणवत्ता का तैयार हो।
- यह सत्यापित करना कि जिस भूमि में उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है उस भूमि में पूर्व में ली गई फसल क्या थी, जिससे संदूषण तथा बीमारी से प्रभावित होने की संभावना न हो।
- यह सत्यापित करना कि बीज प्लाट की पृथक्करण दूरी संतोषप्रद है या नहीं।
- संकर किस्मों में निर्धारित बार्डर लाईन लगाई गई है या नहीं।
- संकर किस्मों में नर एवं मादा लाईन निर्धारित अनुपात में लगाई गई है या नहीं।
- कृषक प्रक्षेत्र पर बीज प्लाट की गणना हेतु बीज प्लाट में जाकर पूर्ण क्षेत्र की गणना नियमानुसार करें तथा निर्धारित अनुपात में लगाई गई है या नहीं।
- खेत निरीक्षण के समय गणना लेना एवं प्रतिवेदन तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः भारतीय न्यूनतम मानक, निर्धारित गणना संख्या और स्टेंडर्ड त्रुटि को ध्यान रखकर कृषक को फसल की स्थिति अनुसार निर्देशित किया जाना अपेक्षित है।
  - वनस्पतिक अवस्था : बीज स्रोत सत्यापन, पृथक्करण दूरी, संदूषण पौधे की पहचान एवं पुष्पन अवस्था में ली जाने वाली सावधानियॉ आदि।
  - पुष्पन अवस्थाः संदूषण के कारकों का विवरण, दूर करने के उपाय व अन्य ऐसी सावधानियॉ जिससे गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार हो।
  - फसल पकते समय : कटाई, गहाई एवं बीज ढुलाई में आवश्यक सावधानियॉ।
  - पुनः गणना : स्टेण्डर्ड त्रुटि को ध्यान में रखकर बीज फसल को मानकों के अनुरूप मान्य या अमान्य करने हेतु पुनः गणना करना अनिवार्य है।
  - बीज फसल के निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर, निरीक्षण के समय उपस्थित कृषक या उसके प्रतिनिधि एवं उत्पादक संस्था के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर ले कर एक प्रति तत्काल कृषक या उसके प्रतिनिधि को दी जायेगी। यदि कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर से इनकार करता हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया जाये। ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निरस्त प्रतिवेदन 48 घंटे के अंदर पंजीकृत डाक से संबंधित कृषक एवं संभागीय कार्यालय को भेजे जावेंगे। सामान्य प्रतिवेदन संबंधित

संभागीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय को निरीक्षण दिनांक से 03 दिवस (72 घंटे) के अंदर भेजना अनिवार्य होगा।

- मानक अनुरूप बीज फसल की कटाई, गहाई एवं ढुलाई निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत तथा निर्धारित प्रक्रिया केन्द्र पर कट आफ डेट के पूर्व करना चाहिये। उक्त कार्य में उत्पादक सभी आवश्यक सावधानियां बरतेंगे, जिससे बीज की गुणवत्ता सुरक्षित रहे।

पुनः निरीक्षण

प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र यदि किसी निरीक्षण के समय प्रमाणीकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बीज उत्पादक निर्धारित शुल्क के साथ निरीक्षण के एक सप्ताह के अंदर आवेदन देकर पुनः निरीक्षण करा सकता है। ऐसे निरीक्षण एक या एक से अधिक किए जा सकते है। पुनः निरीक्षण की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी। पुनः निरीक्षण की अनुमति केवल उन्हीं स्थितियों में दी जावेगी जिनके सुधारने पर बीज की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कटाई, गहाई एवं ढुलाई

उच्च–कोटि के बीज तैयार करने के उद्देश्य से किया गया संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ जाएगा यदि बीज में कटाई, गहाई या ढुलाई के समय किसी तरह का मिश्रण हो जाए। बीज प्रमाणीकरण संस्था के लिए न तो यह संभव है और न व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि उसका प्रतिनिधि प्रत्येक कार्य की देखभाल करें। यह कार्य मुख्य रूप से बीज उत्पादक कृषक की जिम्मेदारी तथा ईमानदारी पर निर्भर है। अतएव संबंधित बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें कि मानक स्तरीय पाये गये बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का उत्पादन ही बिना किसी मिश्रण के संबंधित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर पहूंचाया जावे। मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षण अधिकारी भी समय–समय पर जहां आवश्यक होगा जांच करेंगे तथा आवश्यक निर्देश देंगे, जिसका बीज उत्पादक कृषक पालन करेंगे।

उचित पाये गये लॉट्स की सूची निरीक्षणकर्ता अधिकारी, सत्यापन उपरान्त, संभागीय कार्यालय को सूचित करेगा।

बीज प्रक्रिया

- बीज प्रक्रिया में खेत स्तर पर मानकों के अनुरूप उत्पादित बीज की भौतिक शुद्धता विशिष्ट बीज मानकों के अनुरूप की जाती है। इस संपूर्ण कार्य में बीज का परीक्षण करना तथा बीज का उपचार करना आदि सम्मिलित है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्रों, जिनिंग केन्द्रों पर ही कार्य मान्य होगा। फसल विशेष हेतु बीजों की छनाई के लिये जालियों के माप निर्धारित हैं। प्रक्रिया केन्द्रों का पंजीयन प्रति वर्ष 31 मार्च तक वैध रहेगा तथा केन्द्र के पंजीयन का नवीनीकरण,नवीनीकरण योग्य पाये जाने पर पुनः एक वर्ष अथवा तीन वर्ष के लिए किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु बीज प्रक्रिया केन्द्रों का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क निर्धारित है, जो समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा। केन्द्रों के नवीनीकरण के आवेदन वैधता दिनांक तक संबंधित संभागीय कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये। वैधता तिथि के पश्चात पूर्ण पंजीयन शुल्क सहित आवेदन देना होगा।

बीज प्रक्रिया हेतु प्रणाली :–

बीज प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें बीज की गुणवत्ता को बीज प्रक्रिया द्वारा, अवशिष्ट पदार्थ जैसे – कंकड़, मिट्टी, छोटे बीज, खरपतवार बीज, कटे–फटे बीजों को अलग कर, बनाया जाता है। प्रभारी अधिकारी बीज उत्पादक से आवश्यक दस्तावेज जैसे अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट आदि को जांचने के उपरांत असंसाधित बीज मोहर बन्द प्रमाण पत्र में दी गई वास्तविक उत्पादन के आधार पर प्राप्त करेगा एवं निम्नानुसार बीज लाट की जांच करेगा।

(अ) बीज लाट में भौतिक मिलावट, अवशिष्ट पदार्थ, लस्चर आदि।

(ब) कीटोपघात, बीमारी, संदूषण आदि।

(स) नमी प्रतिशत।

(द) बीज लाट की मात्रा।

(इ) कट ऑफ डेट के पूर्व प्राप्ति।

(फ) स्पष्ट दिखाई देने वाला मिश्रण।

- प्रत्येक लाट को प्रक्रिया के बाद बीज साफ–सुथरे बोरों में भरा जायेगा, जिसमें फसल, किस्म व श्रेणी लॉट क्रमांक अंकित हो।
- प्रक्रियाकृत बीज के प्रत्येक बोरे का वजन एक समान हो तथा सिलाई के बाद बोरों को लेड सील लगाकर मोहरबंद किया जायेगा।
- एक स्टेक में एक ही किस्म, श्रेणी का बीज रखा जा सकेगा एवं स्टेक पर पहचान के विवरण का स्टेक कार्ड लगाया जावेगा।
- बीज लाट के स्टेक के चारों तरफ पर्याप्त जगह हो ताकि सुगमता से लाट का निरीक्षण किया जा सके।
- जिस गोदाम में प्रक्रियाकृत बीज या प्रमाणित बीज रखा हो उसमें अन्य सत्यरूपित बीज या अनाज न रखा जावे। अण्डर साईज बीज का भण्डारण भी ऐसे गोदाम में नही किया जावे।
- संकर कपास में रेशेयुक्त या डिलेन्टेड लाट का ही नमूना लिया जावेगा।

बीज परीक्षण हेतु नमूने लेना :–

बीज प्रक्रिया के साथ–साथ या बीज प्रक्रिया पूर्ण होने के तीन कार्यकारी दिनों के अंदर बीज परीक्षण हेतु नमूने बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी/ उत्पादक के समक्ष लिये जावेंगे। लिये गये नमूने की मात्रा का कोई मूल्य बीज उत्पादक को देय नहीं होगा।

- उपरोक्त मात्रा के तीन एक समान नमूने बनाये जायेंगे तथा उन्हें मुहर बंद किया जावेगा तथा तीन कार्यकारी दिन के अंदर इन नमूनों को नीचे लिखे अनुसार वितरित किया जावेगा।
  - एक नमूना बीज परीक्षण प्रयोग शाला हेतु भेजे जाने के लिये उसे संस्था के मुख्यालय को भेजा जावेगा।

- एक नमूना संबंधित कृषक/बीज उत्पादक संस्था को दिया जावेगा।
- एक नमूना संस्था के संबंधित अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा।
- नमूने पॉच कार्यकारी दिवस के अंदर आवश्यक रूप से संस्था के प्रधान कार्यालय पर प्राप्त हो जाने आवश्यक है। नमूने भेजने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। नमूने भेजने की व्यवस्था उत्पादक संस्था द्वारा की जावेगी। संकर किस्मों एवं ऐसे नमूनों जिनका जी.ओ.टी. आवश्यक हो अथवा प्रमाणीकरण की दृष्टि में आवश्यक हो, के नमूने संस्था द्वारा भेजे जावेंगे।
- मुख्यालय को प्राप्त नमूनों का कोडिंग किया जावेगा तथा कोडेड नमूनें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजे जावेंगे।

○ बीज नमूने लेने, सील करने इत्यादि का कार्य एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण में परीक्षण का कार्य निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत किया जावेगा।

○ बीज परीक्षण परिणाम प्रधान कार्यालय में प्राप्ति के बाद डिकोडिंग उपरान्त, संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों/उत्पादक संस्थाओं को भेजे जावेंगे।

○ सर्विस नमूनों का परीक्षण निर्धारित शुल्क रू. 150 प्रति नमूने सहित, प्रबंध संचालक की अनुमति से होगा। यह नमूने पहले मुख्यालय कोडिंग हेतु भेजे जावेंगे।

○ **बीज उपचार :–** मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मतानुसार प्रमाणीकरण के अंतर्गत कोई किस्म यदि बीज से फैलने वाली बीमारी के रोग जनकों के लिए संग्राही हैं या प्रमाणीकरण के अंतर्गत बीज रोग जनकों का वाहक है और यदि ऐसा उपचार उपलब्ध है जो सही तरीके से करने से बीमारी या रोगजनक की रोकथाम कर सकता है तो संस्था ऐसे बीज का उपचार प्रमाणीकरण से पहले करवा सकती है तथा यदि बीज उत्पादक अनुरोध करें तो संस्था बिना बीज उपचार के प्रमाणीकरण कर सकती है बशर्तेः–

बीज उत्पादक यह आश्वासन दे कि बीज उपचार का रसायन यदि कोई हो तो थैले के अंदर रख दिया है और/या बीज उत्पादक को बीज बोने के पहले बीज उपचार कराने के उपयुक्त निर्देश दिये गये हैं।

पुनः नमूना लेना तथा पुनः परीक्षण कराना :–

बीज लाट के बीज परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर सामान्य स्थिति में बीज परीक्षण परिणाम, संबंधित केन्द्र पर प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के भीतर, बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था पुनः नमूना लेने का आवेदन दे सकेगा। पुनः नमूना लेने तथा बीज परीक्षण कराने की स्वीकृति संभाग के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान–XXIV के तहत पुनः परीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क उत्पादक/उत्पादक संस्था द्वारा देय होगा। पुनः परीक्षण की अनुमति केवल एक बार निम्नानुसार शर्तो पर दी जावेगी,

पुनः प्रक्रिया पश्चात जिस घटक का परीक्षण किया जाना है उसको स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। इसके अतिरिक्त यदि नमूना भेजने वाले अधिकारी किसी नमूने विशेष में

अन्य घटकों का भी परीक्षण करना चाहते हैं तो इस प्रकार की स्पष्ट टीप कूपन में अंकित होना चाहिए।

अनुवांशिक शुद्धता :–

प्रत्येक प्रमाणित बीज लाट, की आधार एवं प्रमाणित श्रेणी की अनुवांशिक शुद्धता निर्धारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार होगी।

बीज लाट :–

एक बीज लाट भौतिक रूप से अलग पहचानने योग्य वह मात्रा है, जो एक रूप है।

बीज लाट का आकार :–

- एक बीज लाट की अधिकतम सीमा, विभिन्न फसलों हेतु भारतीय न्यूनतम मानक में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। उत्पादक के खेत से प्राप्त कुल बीज मात्रा यदि निर्धारित मात्रा से अधिक है तो उसे दो या अधिक असंसाधित बीज लाट में विभाजित कर अलग–अलग लाट क्रमांक की सीरीज जैसे 01(i), 01(ii), 01(iii) आवंटित की जाकर लाट का अलग–अलग संसाधन किया जावेगा।

- ऐसे प्रत्येक लाट के नमूनों के परीक्षण हेतु बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था का लाट संख्या अनुसार परीक्षण शुल्क देना होगा।

बीज का प्रमाणीकरण :–

बीज प्रमाणीकरण संस्था की सहमति से प्रक्रियाकृत बीज उन बोरों/थैलों/डिब्बों में सीधा भरा जा सकता है जिनमें वह विक्रय किया जाता है अथवा बीज परीक्षण परिणाम आने तथा बीजोपचार तक अस्थायी तौर पर बड़ें थैलों/बोरों में भी भरा जा सकता है। जिन थैलो/बोरों/डिब्बों में बीज अंततः प्रमाणीकरण कराया जाएगा, उसका माप आकार, रंग तथा अन्य गुण एवं निर्धारित लेबिल बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीज प्रमाणीरकरण संस्था के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर पूर्व अनुमोदन कराया जावेगा। पैकिंग मटेरियल के संबंध में बीज प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में पालन करना अनिवार्य होगा।

- पुराने बोरों/थैलों/ड़िब्बों आदि जो एक बार उपयोग हो चुके हो उनमें पुनः प्रमाणित बीज भरकर टैग लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- बोरों/थैलों/डिब्बों पर प्रमाणीकरण टैग एवं मुहर लगाये जाने की सुविधा होना चाहिए।
- मुहरबंद करते समय संबंधित बीज लाट में निर्धारित आर्द्रता/स्तर होना आवश्यक है।

- भारत सरकार द्वारा लेबल हेतु निर्धारित विवरण अनुरूप जानकारी पैकिंग/टैगिंग हेतु उपयोग किये जा रहे थैलो/बोरियों पर दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी बीज लाट की पैकिंग साइज सामान्य से कम करने की अनुमति संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी दे सकेंगे।
- किसी भी उत्पादक संस्था प्रमाणित बीज की पैकिंग हेतु उपयोग की जाने वाली बोरियों पर कोई भ्रामक वाक्य/शब्द अंकित नहीं किया जावेगा ।

प्रमाण–पत्र :–

बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम मानक स्तर का होने पर और जहॉ प्रावधान हो वहॉ अनुवांशिक शुद्धता परिणाम मानकों के अनुरूप होने पर तथा अन्य अर्हताऐं पूर्ण होने पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–9(3) के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र, पत्रक–7 में संबंधित सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा और संबंधित संभागीय कार्यालय के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर एक प्रति बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था, दूसरी एवं तीसरी प्रति संभागीय कार्यालय को तथा चौथी प्रति सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रिकार्ड में रखी जाएगी। इस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, नौ माह की होगी।

बीज प्रमाणीकरण परिणाम मानकों के अनुरूप प्राप्त होने के शीध्र बाद किन्तु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रमाणीकरण (टैगिंग) कराना अनिवार्य होगा।

प्रमाणीकरण टैग लगाना :–

प्रमाणीकरण के योग्य बीज लाट के लिये प्रमाणीकरण संस्था प्रत्येक बोरे के लिये टैग, निर्धारित मूल्य प्राप्त कर देगी तथा यह सुनिश्चित कर लेगी कि यह टैग, बोरे पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–7 के अंतर्गत बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था के लेबिल के साथ लगाये जावेंगे। संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि (सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी) प्रत्येक टैग पर अपना नाम तथा पद की मोहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे। केवल आलू को छोड़कर जहां शीत भण्डारण के दौरान टैग गल सकते हैं, कोई भी टैग, बोरे/थैले/डिब्बे के अंदर नहीं रखा जाना चाहिये। आलू के लिए प्रदत्त टैग पॉलिथिन के अंदर रखकर बोरी में लगाया जाना चाहिए।

संस्था के देय सभी शुल्कों की भुगतान विधि :–

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क की निर्धारित शुल्क राशि संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के नाम से देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्रॉफ्ट अथवा चालान के माध्यम से प्राप्त की जाकर संस्था के संभागीय कार्यालय भेजी जावेगी। संभागीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षण कर राशि संबंधित मद के पत्रक सहित मुख्यालय भेजी जावेगी। आवश्यकतानुसार संबंधित संभागीय कार्यालय स्तर पर केवल रूपये 100/ तक की राशि उसी समय मनी रसीद जारी करके प्राप्त की जा सकती है तथा उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस में संस्था के खाते में जमा कराई जावेगी।

वैधता अवधि बढ़ाना–

प्रथम बार प्रमाणीकरण किए गए लाट की वैधता अवधि समाप्त होने पर उस बीज लाट का पुनः परीक्षण करवाने के लिए प्रत्येक लाट का क्रमांक/किस्म श्रेणी के अनुसार अलग–अलग व्यवस्थित कर लें, तथा जो बोरे/थैले फट गए हो या जिनके टैग लेबिल, मुहर आदि निकल गए हो उन्हें अलग कर दे क्योंकि ऐसे बोरों/थैले/डिब्बों की वैधता बढ़ाना संभव नही होगा यदि संबंधित लाट का मूल प्रमाणीकरण मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा न किया गया हो तो मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था यह संतुष्ट होने पर कि बीज प्रक्रिया करने से बीज की गुणवत्ता बढ़कर मानकों के अनुरूप हो सकती है तो बोरों/थैलों आदि को खोलने से पूर्व बीज का नमूना निकालकर उसे तीन भागों में बांटकर मुहरबंद किया जाएगा और निम्नानुसार वितरित किया जाएगा :–

1. मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल।
2. आवेदक व्यक्ति/संस्था।
3. उस प्रमाणीकरण संस्था को जिसने मूल प्रमाणीकरण किया है, पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा तत्पश्चात उस बीज लाट की पुनः प्रक्रिया करवाकर पुनः बीज परीक्षण कराया जा सकेगा।

- संबंधित बीज लाट जो कि परीक्षण में मानकों के अनुरूप पाया गया हो, के प्रत्येक बोरे/थैले के लिए नया वैधता टैग निर्धारित मूल्य प्राप्त कर केवल पहली बार वैधता अवधि बढ़ाते समय दिया जाएगा।
- प्रमाणीकरण का मूल टैग, वैधता अवधि बढ़ाते समय बोरो/थैलों से उतारा नहीं जाएगा। यदि संभव हो तो वैधता अवधि बढ़ाने का टैग बोरों/थैलों पर सिलाई कर लगाया जाएगा, अन्यथा मूल टैग पर ही लगा (Staple) कर दिया जाएगा।

- वैधता अवधि बढ़ाने के कार्य हेतु संस्था प्रमाणीकरण की निम्न परिस्थितियों के लिए शुल्क निर्धारित करेगी :–
  1. जहां थैले/बोरे खोले जाना हो।
  2. जहां थैले/बोरे खोलकर नमूने लेकर पुनः मुहरबंद किए गए हो।
  3. जहां पुनः प्रक्रिया सहित वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जावे, वहां प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित अग्रिम शुल्क देय होगा।
- जिन फसलों में अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण के बाद टैग जारी किये जाते है, ऐसी फसल का बीज यदि अन्य किसी प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित है तो बीज वैधता अवधि बढ़ाने हेतु आवेदित होने पर उक्त लाट में वैधता टैग न लगाये जाकर सिर्फ वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी विवरण की सील बाहर लगाई जाएगी।
- जिन बीज लाट्स की पुनः वैधता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए वे केवल, आधार या प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित होना चाहिये।

भौतिक दिखावटः–

प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत बीज :–

1. बदरंग होने पर–वर्षा, अधिक नमी या अन्य किसी भी कारण से भौतिक रूप से खराब बीज जिससे संस्था की राय में बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रमाणीकरण के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।
2. बीज किसी कीट, व्याधि, फफूंद या यांत्रिक कारणों से **0.5** प्रतिशत से अधिक खराब नहीं होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से किसी लाट के उतने ही भाग को अयोग्य मानकर निरस्त या अलग कर देना चाहिये बशर्ते कि संस्था को यह विश्वास हो कि भौतिक रूप से खराब हिस्सा अलग करने के पश्चात शेष बीज लाट उपरोक्त सीमा से अधिक खराब नहीं है।

बीज का पुनः प्रमाणीकरण करना :–

प्रमाणित बीज का उत्पादक या व्यापारी न्यायोचित कारणों से यदि बोरे/थैले या डिब्बों मे बंद बीज को उसी हालत में या पुनः प्रक्रिया करके फिर से नये बोरे/थैले या उन्ही बोरे थैलों में भरकर मुहर तथा प्रमाणीकरण टैग लगाने का आवेदन करे तो प्रमाणीकरण संस्था बताये गये कारणों से संतुष्ट होने पर यह कार्य कर सकेगी बशर्ते कि :–

1. प्रस्तुत थैलों/बोरों पर प्रमाणीकरण टैग व मुहर सही हालत में हो और बोरे/थैले कटे–फटे न हो।
2. बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप हो तथा निर्धारित अवधि के अंदर हो।

3. निर्धारित शुल्क दे दिया गया हो।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण।

2.6 List of services being provided by the public authority with a brief write up on them.

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निम्न प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती हैं :–

(1) बीज उत्पादन हेतु आवेदित कृषकों का पंजीयन।
(2) उत्पादक संस्थाओं का पंजीकरण।
(3) उत्पादक संस्थाओं द्वारा आवेदित प्रक्रिया केन्द्रों का पंजीकरण।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहॉ लागू हों)।

2.7 Organizational structure diagram at various lebels namely state, directorate, region, district, block etc. (whichever is applicable).

संस्था का प्रधान कार्यालय, भोपाल में स्थित है। संस्था के प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। प्रधान कार्यालय से ही संस्था के पूरे प्रदेश का प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण होता है तथा कार्य की सुविधा की दृष्टि से संस्था के 10 संभागीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर, उज्जैन, मंदसौर, खण्डवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त संस्था की 04 बीज परीक्षण प्रयोगशालाऐं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर में कार्यरत हैं एवं एक ग्रो–आऊट प्रक्षेत्र देलमी, जिला–धार में स्थापित है।

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाऐं।

2.8 Expectation of the public authority from the public for enhancing its effectiveness and efficiency.

संस्था के नियम/नीति से संबंधित यदि कोई जन सामान्य/जनप्रतिनिधि द्वारा सुझाव/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रबंध संचालक द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था।

2.9 Arrangements and methods made for seeking public participation/ contribution.

संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम (मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन) निर्धारित है। संचालक मण्डल में कुल 15 संचालकों में से 03 अशासकीय सदस्यों को राज्य शासन द्वारा निम्न क्षेत्रों के प्रगतिशील कृषकों को मनोनीत किये जाने का प्रावधान है :–

(1) प्रगतिशील कृषक (गेहूँ–क्षेत्र)
(2) प्रगतिशील कृषक (दलहन–तिलहन क्षेत्र)

(3) प्रगतिशील कृषक (कपास क्षेत्र)

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निवारण की व्यवस्था।

2.10 Mechanism available for monitoring the service delivery and public grievance resolution.

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रधान कार्यालय के स्तर पर जन समस्या निवारण हेतु जन शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)

2.11 Addresses of the main office and other offices at different level (please categories the addresses districtwise for facilitating the understanding by the user).

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का प्रधान कार्यालय, भोपाल में स्थित है। संभाग स्तर पर संभागीय कार्यालय स्थापित हैं। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कोई भी कार्यालय स्थित नहीं है। संस्था के कार्य की सुविधा की दृष्टि से संस्था के 10 संभागीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर, उज्जैन, मंदसौर, खण्डवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त संस्था की चार बीज परीक्षण प्रयोगशालाऐं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर में कार्यरत हैं एवं एक ग्रो–आऊट प्रक्षेत्र देलमी, जिला–धार में स्थापित है। संस्था के अध्यक्ष, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। संस्था के प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। जिनका विस्तृत विवरण पते सहित निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पता
1	कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष	मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	कक्ष क्र. 242 मंत्रालय, भोपाल
2	प्रबंध संचालक	म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	बी–2, ऑफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर, भोपाल
3	मुख्य बीज प्रमा. अधिकारी	––''––	––''––
4	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	संभागीय कार्यालय, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	ए ब्लॉक ऑफिस काम्पलेक्स, खादी ग्रामोद्योग आयोग का चतुर्थ तल, गौतम नगर, भोपाल–23 (म.प्र.)
5	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	कृषि नगर, अधारताल जबलपुर (म.प्र.)
6	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	एच–38, अनुपम नगर एक्सटेन्शन, थाटीपुर ग्वालियर (म.प्र.)

क्र.	पदनाम	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पता
7	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	कोठी परिसर, उज्जैन (म.प्र.)
8	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	अनुसुईया कुटी वार्ड क्र. 50/564 (आनंद स्कूल के पास गीता भवन के पिछे) नगर खण्डवा(म.प्र.)
9	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	द्रविण नगर के पिछे, समाजवादी इन्द्रा नगर के पास पुलिस लाईन के सामने इन्दौर (म.प्र.)
10	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	932/4, शारदा नगर एन.एच.–7, रेल्वे स्टेशन के पास, रीवा (म.प्र.)
11	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	अंकुर स्कूल एवं विद्या भवन के पास अंकुर कालोनी, मकरोनिया, सागर (म.प्र.)
12	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	पवार खेड़ा, नर्मदापुरम (म.प्र.)
13	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––''––	08 ग्रीन वैली, अभिनंदन रोड़, मन्दसौर (म.प्र.)
14	बीज परीक्षण अधिकारी	बीज परीक्षण प्रयोगशाला, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	ए ब्लॉक ऑफिस काम्पलेक्स, खादी ग्रामोद्योग आयोग का चतुर्थ तल, गौतम नगर, भोपाल–23 (म.प्र.)
15	बीज परीक्षण अधिकारी	––''––	द्रविण नगर के पिछे, समाजवादी इन्द्रा नगर के पास पुलिस लाईन के सामने इन्दौर (म.प्र.)
16	बीज परीक्षण अधिकारी	––''––	कृषि नगर, अधारताल जबलपुर(म.प्र.)
17	बीज परीक्षण अधिकारी	––''––	कोठी परिसर, उज्जैन (म.प्र.)
18	प्रक्षेत्र प्रबंधक देलमी धार	जी.ओ.टी. प्रक्षेत्र	जी.ओ.टी. प्रक्षेत्र चन्देल स्कूल रोड, बकरी पालन केन्द्र के सामने, ग्राम/पोस्ट–पाड़ल्या, देलमी, धार (म.प्र.)

2.12 कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10:00 बजे
कार्यालय के बंद होने का समय : सायं 06:00 बजे

2.12 Morning hours of the office : 10:00 A.M.
Closing hours of the office : 06:00 P.M.